कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

पत्रांक– 3981 /33–1, दिनांक गोण्डा, मार्च 19 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/151936/2022)

संदर्भः– आपका पत्रांक–2216/11–सी– FP/UP/ROAD/151936/2022, दिनॉक 04.03.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर आप द्वारा आपत्तियॉ लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया। ततकम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रॉक–3030/33–1, दिनॉक 14.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रॉक–3030/33–1, दिनॉक 14.03.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

D:\office 07-07-2018\OFFICE 02-05-2018\court case\VFC Genral forwding .docx ram lal

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।

पत्रॉक– /33–1, दिनॉक, गोण्डा, मार्च 15 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद गोण्डा में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों की पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ0सी0/530 दिनांक 16.02.2023 एवं वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा का पत्रांक 3698/33–1 दिनांक 04.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियां लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	आपत्तियां	उत्तरालेख
2	The positinol error has been found in the proposed CA side of the Tikri Range. The KML File/Geo referenced map need to be revised.	जियो रिफरेन्श मैप सही कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	The net suitable area For Plantations As per DSS Analysis is 3.58 Ha. Which is lower then the actul requred CA land area.	प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार के कार्यालय से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं0–3 की आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

V.Fc
आ० का० करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकरी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

F Gnda
10/3/24

संख्या 3030 **अ/उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक महोदय, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकरी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।